# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 133B/2017-18

## प्रफुल्ल कुमार महतो बनाम अर्चना महतो

## :: आदेश::

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 11-11-17 | | |

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 2221 दिनांक 16.10.2017 द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 133 B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता प्रफुल्ल कुमार महतो पिता –स्व0 हेमचन्द्र महतो ग्राम–धीरजगंज, थाना–आदित्यपुर जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता अर्चना महतो पति–श्री परमेश्वर महतो, ग्राम–उपरबेड़ा, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। केता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

| मौजा | थाना न0 | खाता न0 | खेसरा न0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| आसंगी | 126 | पु0–186<br>नया–287 | पु0–86<br>नया–95 | 7.30 डी0 |

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि स्वंय विक्रेता एवं अन्य के नाम जमावंदी कायम है। बिक्री की जाने वाले भूमि में बिक्रेता का हक एवं हिस्सा में 19.33 डी0 एवं मौजा बासुरदा तथा आसंगी में आवेदक की माता चपला महातानी के हिस्सा में 1.68 एकड़ तथा 0.44 एकड़ कुल 2.19.30 एकड़ भूमि है तथा आवेदक अपने हिस्से की आंशिक जमीन की बिक्री हेतु आवेदन किये हैं, जिसमें से 7.30 डी0 भूमि बिकी करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.12 एकड़ भूमि शेष बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी ' जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 7.30डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,